संख्या-02/2022/342/23-12-2022-4(सा0)/12टीसी आगणन

प्रेषक,

गिरिजेश कुमार त्यागी,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता विकास एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तर प्रदेश लखनऊ ।

लोक निर्माण अनुभाग-12 **लखनऊ : दिनांक 20 जनवरी, 2022**

विषयः- विश्व बैंक के ऋण से प्रस्तावित उत्तर प्रदेश कोर रोड नेटवर्क डेवलपमेंट परियोजना के अन्तर्गत गरौठा-चिरगॉ व मार्ग (एस0एच0-42) के चैनेज 118.000 से 168.000 (कुल लम्बाई 50 कि0मी0) तक के कार्य से संबंधित पुनरीक्षित आगणन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-1419/ई0ए0पी0/डब्लू0बी0/यू0पी0जी0-02/2018, दिनांक 28.06.2021 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विश्व बैंक के ऋण से प्रस्तावित उत्तर प्रदेश कोर रोड नेटवर्क डेवलपमेंट परियोजना के अन्तर्गत गरौठा-चिरगॉ व मार्ग (एस0एच0-42) के चैनेज 118.000 से 168.000 (कुल लम्बाई 50 कि0मी0) तक के कार्य की मूल स्वीकृति शासनादेश संख्या-846/23-12-2015-04(सा0)/12टीसी आगणन, दिनांक 13-07-2015 द्वारा लागत रू0 22716.78 लाख (रू0 दो अरब सत्ताईस करोड़ सोलह लाख अट्ठहत्तर हजार मात्र) प्रदान की गयी थी। प्रश्नगत परियोजना की लागत में वृद्धि के कारण पुनरीक्षित आंकलित लागत रू0 23349.71 लाख (रू0 दो अरब तैंतीस करोड़ उन्चास लाख इकहत्तर हजार मात्र) की पुनरीक्षित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धो के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं:-

(धनराशि लाख रूपये में)

क्र0सं0	**कार्य का नाम**	**मूल स्वीकृत लागत**	**पुनरीक्षित स्वीकृत लागत**
1	विश्व बैंक के ऋण से प्रस्तावित उत्तर प्रदेश कोर रोड नेटवर्क डेवलपमेंट परियोजना के अन्तर्गत गरौठा-चिरगांव मार्ग (एस0एच0-42) के चैनेज 118.000 से 168.000 (कुल लबाई 50 किमी0) तक।	22716.78	23349.71

(1) प्रायोजना की लागत का आंकलन प्रशासकीय/वित्तीय अनुमोदन तथा बजट आवंटन के उद्देश्य से किया गया है। प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ कराया जाय।

(2) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों एवं समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(3) कार्य की विशिष्टयां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी विभाग की होगी। प्रायोजना का निर्माण कार्य ससमय पूर्ण किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) प्रश्नगत स्वीकृति जिस कार्य/मद के लिये है, उसी कार्य/मद पर व्यय प्रत्येक दशा में किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(5) अधिष्ठान व्यय/सेन्टेज चार्ज की धनराशि समय-समय पर स्वीकृत/आवंटित की जा रही धनराशि के सापेक्ष जमा की जायेगी। अधिष्ठान व्यय की धनराशि वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश सं0-ए-2-23/दस-2011-74(4)/75/2011 दिनांक 25-01-2011 के अनुसार लोक निर्माण विभाग के प्राप्ति लेखाशीर्षक में ट्रान्सफर इन्ट्री द्वारा क्रेडिट करके विभाग द्वारा जमा की जायेगी।

(6) लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

(7) प्रायोजना की लागत आंकलन में 12 प्रतिशत जी0एस0टी0 की धनराशि सम्मिलित कर दी गयी है। विभाग द्वारा अपने स्तर से सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रायोजनान्तर्गत विभिन्न कार्य मदों में जी0एस0टी0 से सम्मिलित न हो।

(8) प्रायोजनान्तर्गत यूटिलिटी शिफ्टिंग सम्बन्धी प्रावधान किया गया है। अतः यूटिलिटी शिफ्टिंग हेतु सम्बन्धित विभागों से अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं शिफ्टिंग हेतु गठित विस्तृत आगणन पर सक्षम स्तर का अनुमोदन/तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर प्रायोजना का निर्माण कार्य कराया जाना सुनिश्चित कराया जायेगा।

(9) विभाग द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लियरेंस सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा।

(10) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व विभाग द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(11) प्रायोजना प्रस्ताव का परीक्षण आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्रावधानों को यथावत मानते हुए किया गया है। मार्ग निर्माण की लम्बाई/चौड़ाई में परिवर्तन प्रस्तावित क्रस्ट डिजाइन में संशोधन स्वीकृत प्रायोजना के स्कोप में परिवर्तन आदि व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा। विभाग द्वारा इस आशय का उल्लेख सम्बन्धित स्वीकृति आदेश में सम्मिलित किया जायेगा।

(12) विभाग द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22 मार्च, 2021 में वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(13) प्रश्नगत निर्माण कार्य हेतु कार्यदायी संस्थाओं को दो-दो माह की आवश्यकतानुसार धनराशि निर्गत की जाय। विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष में तैनात वित्त नियंत्रक का यह उत्तरदायित्व होगा कि धनराशि का कोषागार से आहरण दो-दो माह की आवश्यकतानुसार ही किया जाय। कार्यदायी संस्था द्वारा पूर्व में दी गयी धनराशि के 80 प्रतिशत कार्य का उपयोग करने के उपरान्त अगले दो माह के लिए पुनः आवश्यक धनराशि कोषागार से आहरित करके दी जाय।

(14) विभाग द्वारा विश्व बैंक की गाइडलाइन्स तथा भारत सरकार की शर्तों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

-2 उक्त कार्य पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के अनुदान सं0-58 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-05-अन्तर्राज्यीय या आर्थिक महत्व की सड़कें- 337-सड़क निर्माण कार्य-97-बाह्य सहायतित परियोजनायें-9705-विश्व बैंक सहायतित उत्तर प्रदेश कोर रोड नेटवर्क परियोजना के चालू कार्यों हेतु एक मुश्त व्यवस्था -24-वृहद निर्माण कार्य के नामे डाला
जायेगा।

3- उपरोक्त परियोजना की मूल प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति विषयक शासनादेश सं0-846/23-12-15-04 (सा0)/12टीसी आगणन, दिनांक 13.07.2015 की शेष शर्तें प्रतिबन्ध/यथावत रहेंगे।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र सं0-ई-8-3586-दस-2021-22, दिनांक 08 जनवरी, 2022 द्वारा प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(गिरिजेश कुमार त्यागी)
विशेष सचिव।

संख्या- 02/2022/342(1)/23-12-2022-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- निजी सचिव, मा0 उप मुख्यमंत्री/मा0 लोक निर्माण मंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
2- नोडल अधिकारी, बजट एलॉटमेंट सिस्टम, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया उक्त शासनादेश को अपलोड कराने का कष्ट करें।
3- महालेखाकार तीयद्वि/प्रथम (लेखा एवं हकदारी), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
4- महालेखाकार द्वितीय/प्रथम (परीक्षा-लेखा), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
5- सम्बन्धित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6- मुख्य अभियन्ता(मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
7- मुख्य अभियन्त, वाहय सहायतित परियोजना, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
8- वित्त नियन्त्रक,लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
9- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
10- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8
11- लोक निर्माण अनु0-10
12- डाटा सेल, लोक निर्माण विभाग, विकास भवन, जनपथ, लखनऊ।
13- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अभय कुमार)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in